प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **161/2024** (अपील सूचना का अधिकार)

Jaywant Bherviya Add: 29 Mahaveer Nagar, New Bhupalpura, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बड़गांव, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 17-12-2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329522156688923 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 09.11.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 4876988770 दिनांक 22.11.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/161/24/1364–65 दिनांक 25.11.2024 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बड़गांव द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक सू.अ.2005/24/3044 दिनांक 10.12.2024 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत चाही गई सूचना "श्रीमान जिला कलक्टर महोदय उदयपुर के आदेश दिनांक 27.08.2024 को आर.टी.आई. एक्ट के अंतर्गत प्रथम अपील की सुनवाई में आदेश पारित निःशुल्क सूचना न्यायालय हाजा की फैसल पत्रावली दिनांक 21.05.2024 की प्रकरण संख्या 421/2019 के पत्रावली कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक 2986 दिनांक 22.11.2024 को स्पीड पोस्ट RR393222694IN को दिनांक 27.11.2024 को प्रार्थी को भिजवाई गई है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कराने का कष्ट करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 3044 दिनांक 10.12.2024 अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक RR393222694IN दिनांक 27.11.2024 से उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बड़गांव एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर